

राजस्थान-सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान-अजमेर

क्रमांक : एफ.2(1050)स्था / पमु / 2021 /

दिनांक:

आदेश


राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 के नियम-32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर वर्ष 2020-21 की रिक्तियों के विरुद्ध वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 28.07.2022 को आयोजित बैठक में निम्नांकित कनिष्ठ सहायकों को वरिष्ठ सहायक के रिक्त पदों पर वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से पदोन्नत किया जाता है :-

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	वर्ग जिसके विरुद्ध पदोन्नति दी गई	रिक्ति दिनांक
1	2	3	4
1	श्री सुनील रावत	सामान्य	01.04.2020
2	श्री प्रदीप	सामान्य	01.04.2020

नोट :-

- कार्मिक श्री हरेन्द्र कुमार, कनिष्ठ सहायक के विरुद्ध सीसीए-16 में विचाराधीन जॉच में निर्णय दिनांक 01.12.2015 द्वारा 04 वार्षिक वेतन वृद्धियाँ संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने के फलस्वरूप कार्मिक(क-2)विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 2(1)कार्मिक/क-2/अं.प्र./91 दिनांक 04.06.2008 में बिन्दु संख्या 16.3 में वर्णित निर्देशों की पालना में कार्मिक को वर्ष 2020-21 में प्रथम बार पदोन्नति से वंचित किया जाता है।
- कार्मिक श्री भारत ज्योतियाना, कनिष्ठ सहायक के वर्ष 2017-18 व 2019-20 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण 01 पद (अ.जा.) रिक्त रखते हुए प्रकरण आस्थगित(Defer) रखा जाता है।

उपर्युक्त पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति पर अपने वर्तमान पदस्थापन पद पर यथावत कार्य करते हुए कार्यग्रहण रिपोर्ट तत्काल मुख्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा समस्त वित्तीय लाभ राज्यादेश दिनांक 23.02.2015 के अनुसरण में देय होंगे।



(शरद मेहरा)
महानिरीक्षक

क्रमांक : एफ.2(1050)स्था / पमु / 2021 / 9692-9700

दिनांक: 28/07/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित कार्यालय
2. संबंधित कार्मिक
3. निजी पत्रावली संबंधित कार्मिक.....
4. रक्षित पत्रावली।
5. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, मुख्यालय अजमेर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।


(अनिता चौधरी)
उप महानिरीक्षक(कर)